



इलेक्ट्रॉनिक आरक्षण पर्ची आई.आर.सी.टी.सी.रद्दीकरण पर्ची (पर्सनल उपयोगकर्ता)



- आप भेजे गए ई-टिकट एसएमएस या ईआरएस के स्क्रीन शॉट यानी वर्चुअल रिजर्वेशन मेसेज (वीआरएम) के साथ वास्तविक पहचान पत्र लेकर यात्रा कर सकते हैं। यह टिकट पहचान पत्र (मूलरूप) के साथ ही मान्य होगा। कृपया पहचान पत्र (मूलरूप) के साथ यात्रा करें। यदि कोई यात्री मूल पहचान पत्र के बिना यात्रा करता है, तो बिना टिकट माना जाएगा और वर्तमान रेलवे नियमों के अनुसार प्रभार शुल्क लगाया जाएगा। कृपया पेपर और पर्यावरण को बचाए और ईआरएस मुद्रित (प्रिन्ट) न करें, जब तक ऐसा करने के लिए बेहद जरूरी नहीं हो।
- केवल कंपर्मा/आरएसी/आंशिक रूप से कंपर्मा ई-टिकट ही यात्रा के लिए मान्य हैं।
- पूरी तरह से प्रतीक्षा सूची वाला ई-टिकट यात्रा के लिए अमान्य है यदि यह चार्ट तैयार करने के बाद टिकट पूरी तरह से प्रतीक्षा सूची में रहता है तो बुकिंग राशि की वापसी बुकिंग के लिए उपयोग किए गए खाते में जमा की जाएगी। पूरी तरह से प्रतीक्षा सूची वाला ई-टिकट पर यात्रा करना अवैध है।**
- ई-टिकट के बुकिंग पर ट्रेन यात्रा के दौरान एक यात्री द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले मान्य आईडी कार्ड:- मतदाता पहचान कार्ड / पासपोर्ट / पैनकार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस / केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा जारी फोटोआईडी कार्ड / मान्यता प्राप्त स्कूल या कालेज के छात्र पहचान पत्र/ तस्वीर के साथ जारी राष्ट्रीयकृत बैंक पासबुक / तस्वीर के साथ जारी क्रेडिट कार्ड / आधार कार्ड, एम-आधार, ई-आधार। / राज्य / केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, जिला प्रशासन, नगर निकाय और पंचायत प्रशासन द्वारा जारी किए गए कम संख्या वाले फोटो पहचान पत्र / यात्री अपने डिजिटल अकाउंट में लॉग-इन कर के "इश्युड डॉक्यूमेंट" सेक्शन से आधार/ड्राइविंग लाइसेंस दिखाता है तो इसे पहचान के वैध साक्ष्य के रूप में माना जाएगा (उपयोगकर्ता द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेज अर्थात "अपलोडेड डॉक्यूमेंट" सेक्शन के दस्तावेज, पहचान के वैध साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किए जाएंगे)।
- सर्विस अकाउंटिंग कोड (एसएसी) 996411: 150 किलोमीटर तक की दूरी तक के लिए रेलवे द्वारा यात्रियों की स्थानीय भूमि परिवहन सेवाएं सर्विस अकाउंटिंग कोड (एसएसी) 996416: पर्यटन टिकट के लिए रेलवे द्वारा पर्यटन स्थलों की यात्रा करना सर्विस अकाउंटिंग कोड (एसएसी) 996421: 150 किमी से अधिक दूरी के लिए रेलवे द्वारा यात्रियों की लंबी दूरी की परिवहन सेवाएं
- ई-टिकट के रद्दीकरण और धनवापसी के लिए ग्राहक द्वारा जनरल नियमों / सूचना का अध्ययन किया जाना चाहिए।

पीएनआर संख्या: 2106537924	गाड़ी संख्या एवं नाम : 18104 / JALIANWALA B EX	कोटा: GENERAL (GN)
रद्दीकरण संख्या: 100002233517468	बुकिंग की तिथि: 12-Jan-2020 10:48:29 HRS HRS	श्रेणी: SLEEPER CLASS (SL)
कहाँ से: LUDHIANA JN(LDH)	यात्रा की तिथि: 28-Feb-2020	कहाँ तक: GAYA JN(GAYA)
गाड़ी में चढ़ने का स्टेशन: LUDHIANA JN(LDH)	गाड़ी में बैठने की तिथि: 28-Feb-2020	निर्धारित प्रस्थान समय: 28-Feb-2020 15:05 *
कहाँ तक आरक्षण: GAYA JN(GAYA)	निर्धारित आगमन समय: 29-Feb-2020 14:20 *	वयस्क: 2 बच्चे: 0
यात्री का मोबाइल नंबर: 8210228581		दूरी: 1257KM
यात्री का पता:	bathani, basanser, Gaya, BIHAR - 823311	
रद्दीकरण की तिथि:	26-Feb-2020 11:17:36 HRS	

किराये का विवरण :

एकत्र कुल किराया	₹1120.0	एक हजार एक सौ बीस रुपये तथा शुल्क पैसा
निरस्तीकरण शुल्क	₹120.0	एक सौ बीस रुपये तथा शुल्क पैसा
रिफंड कुल राशि	₹1000.0	एक हजार रुपये तथा शुल्क पैसा

ई टिकट सुविधा शुल्क प्रति टिकट यात्रियों की संख्या पर ध्यान दिए बिना

यात्री का विवरण :

क्रम सं	नाम	आयु	लिंग	बुकिंग स्थिति	वर्तमान स्थिति
1	GULSHAN KUMAR	18	Male	RAC/62	CAN
2	RAJU KUMAR	18	Male	RAC/63	CAN

भारतीय रेलवे जीएसटी विवरण :

चालान संख्या : PS20210653792422 पता: Indian Railways New Delhi

आपूर्तिकर्ता की जानकारी		प्राप्तकर्ता की जानकारी		कर योग्य राशि	सीजीएसटी		एसजीएसटी/यूजीएसटी		आईजीएसटी		कुल कर
एसएससी कोड	जीएसटीआईएन	जीएसटीआईएन	नाम	पता	दर	राशि	दर	राशि	दर	राशि	
996421	07AAAGM0289C1ZL				0.0						0.0

यह टिकट व्यक्तिगत उपयोगकर्ता आईडी पर बुक की गई है और किसी एजेंट द्वारा नहीं बेची जा सकती है। इसकी बिक्री / खरीद रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 143 के तहत अपराध है।

आपूर्ति का स्थान: LUDHIANA JN(LDH) आपूर्तिकर्ता का राज्य कोड / नाम :

टिकट मुद्रण का समय: 26-Feb-2020 11:17:46 HRS

IR recovers only 57% of cost of travel on an average.

[बिना विज्ञापन वाली आरक्षणपर्ची छापें। \[X\]](#)

महत्वपूर्ण सूचनाएँ :

- ई-टिकटिंग सेवाओं के नियम और शर्तों की जानकारी के लिए, कृपया www.irctc.co.in विजिट करें।
- रेल के माध्यम से भेजा गया VRM / ERS में छपे प्रस्थान व आगमन समय, गाड़ी के वर्तमान प्रस्थान व आगमन समय में अंतर हो सकता है। यात्रियों से अनुरोध है कि यात्रा प्रारंभ करने से पहले रेलवे पृष्ठताछ संख्या 139 पर फोन कर या 139 पर संदेश भेज कर सही प्रस्थान व आगमन समय सुनिश्चित कर लें।
- धन वापसी के नियम के प्रावधानों में कुछ संशोधन हैं। धन वापसी के संशोधित नियम 12 -11 -2015 से लागू हैं। (विस्तृत जानकारी www.irctc.co.in पर सामान्य जानकारी -टिकट रद्दीकरण और वापसी नियम 12 नवंबर 2015 से प्रभावी शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध है)।
- आरक्षित बर्थ स्थानांतरित नहीं की जा सकती है और यह तभी वैध है जब कोई भी एक मूल पहचान पत्र यात्रा के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। यात्री के पास यात्रा के दौरान SMS / इलेक्ट्रॉनिक आरक्षण पर्ची / वर्चुअल आरक्षण संदेश उपलब्ध नहीं है तो 50 रुपये शुल्क प्रति टिकट, टिकट जांच कर्मचारी द्वारा लिया जायेगा और उस के बदले में अतिरिक्त किराया टिकट जारी की जाएगी।
- अवेदक को इंटरनेट के माध्यम से अपनी टिकट www.irctc.co.in पर रद्द करने की अनुमति है।
- वह भी एन आर जो की पूर्णतया प्रतीक्षासूची में है, ऐसे टिकटों पर उन यात्रियों का नाम चार्ट पर नहीं दिखेंगे। उन्हें रेलगाड़ी पर चढ़ने की अनुमति नहीं होगी। परन्तु आंशिक रूप से प्रतीक्षासूचीबध/कम्पर्म/आरएसी सूचि वाले यात्रियों का नाम चार्ट पर होंगे।
- आंशिक रूप से प्रतीक्षा सूची वाले टिकट के मामले में टीटीई/ कंडक्टर से प्रमाण पत्र प्राप्त करें, (A)बुक यात्री के यात्रा न करने पर, (B)एसी काम नहीं करने पर, (C)निम्न श्रेणी में यात्रा करने पर। धनवापसी का दावा करने के लिए ऑन लाइन टी डी आर निर्धारित समय में दर्ज कर टीटीई से प्राप्त मूल प्रमाण पत्र GGM (आईटी), आईआरसीटीसी, इंटरनेट टिकटिंग सेंटर, आईआरसीटी बिल्लिंग, स्टेट एट्री रोड नई दिल्ली 110055 पर भेजा जाना चाहिए।
- किसी यात्री का ई टिकट आंशिक रूप से प्रतीक्षा सूची वाले टिकट/आरएसी/पूर्णतया प्रतीक्षा सूची वाला हो और वह यात्रा नहीं करता तो उन सभी यात्रियों को ऑन लाइन टी डी आर रेलवे धन वापसी के नियमों के अनुसार निर्धारित समय में दर्ज किया जाना चाहिए। धन वापसी रेलवे धन वापसी नियमों के अनुसार संबंधित क्षेत्रीय रेलवे द्वारा की जाएगी।
- आईआरसीटीसी की वेबसाइट www.irctc.co.in पर टीडीआर धनवापसी का अनुरोध पंजीकृत करने पर क्षेत्रीय रेलवे द्वारा धनवापसी नियमों के अनुसार कारवाई की जाती है। (विस्तृत जानकारी www.irctc.co.in पर महत्वपूर्ण जानकारी शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध है)।
- कंपर्म टिकट ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 30 मिनट पहले तक रद्द की जा सकती है। लेकिन ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 4 घंटे पहले रद्द की गई टिकट पर ही धनवापसी होगी।
- आरएसी/आंशिक कंपर्म टिकट ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 30 मिनट पहले तक रद्द की जा सकती है। हालांकि धनवापसी रेलवे के मौजूदा धनवापसी प्रावधानों के तहत होगी।
- एक से अधिक यात्रियों की यात्रा के लिए जारी की गई पार्टी टिकट या कुटुंब टिकट की दसा में, जब कुछ यात्रियों का टिकट पुष्टिकृत है और अन्य का आर ए सी या प्रतीक्षासूचि में है तो पुष्टिकृत यात्रियों को भी लिपिकीय प्रभार कम करने के पक्षत किराए का पूर्ण प्रतिदाय इश शर्त के अधीन अनुज्ञेय होगा की ये टिकट ऑनलाइन रद्द करेगे या रेलगाड़ी के प्रस्थान के नियत समय से तीस मिनट पहले तक सभी यात्री ऑनलाइन टी डी आर फाईल करेंगे।
- सुविधा ट्रेन के लिए, 20 जनवरी 2018 से धन वापसी के नियम साधारण धन वापसी नियमों के अनुसार लागू होंगे।
- न पर ट्रेन रद्द होने की स्थिति में स्वचासित प्रगती द्वारा पूर्ण धनवापसी किया जायेगा। यदि ट्रेन अपने गंतव्य से आंशिक रूप से रद्द हो तो यात्री को अपने बोर्डिंग स्टेशन से ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से 72 घंटों के भीतर टीडीआर दर्ज करना होगा।
- यात्रियों को सूचित किया जाता है कि यात्रा के समय ज्वलनशील पदार्थ लेकर यात्रा न करें और ट्रेन में धूम्रपान वर्जित है।
- ग्राहक सहायता के लिए सम्पर्क करें: 24x7 Hrs. 0755-6610661, 0755-4090600 या ई-मेल करें care@irctc.co.in
- 1500 से अधिक ट्रेनों में भोजन के लिए विविध व्यंजन उपलब्ध हैं। अपनी सीट पर अपने पसंदीदा भोजन की डिलीवरी पाने के लिए www.ecatering.irctc.co.in पर लॉग ऑन करें या टोलफ्री नंबर 1323 पर कॉल करें। खान पान सेवाओं से सम्बंधित किसी भी